खाद्य मुद्रास्फीति और कृषि आपूर्ति शृखंला प्रबंधन *

हारून आर. खान

टेफ्ला के प्रबंध निदेशक श्री कैलाश सिंह, वायदा बाजार आयोग के अध्यक्ष श्री रमेश अभिषेक, भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के संयुक्त सचिव डॉ डी. भल्ला, सॉल्वेन्ट एक्सट्रैक्टर्स एसोशिएसन ऑफ इण्डिया के श्री सुशील गोयंका और विजय दत्ता, ग्लोबॉयल प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री संदीप बजोरिया, श्री दिनेश शहरा, डॉ बी.वी. मेहता और खाद्य तेल तथा कृषि-पण्य व्यापार उद्योग के अन्य प्रमुख पदाधिकारियो और भारत तथा विदेश से आए शिष्टमंडल के विशिष्ट सदस्यो। मुझे खुशी है कि मुझे कृषि-व्यवसाय से जुड़े लोगों को संबोधित करने का अवसर दिया गया, विशेष रूप से ऐसे समय जब खाद्य वस्तुओं की मांग बढ़ रही है और अब आने वाले कई वर्षों तक इसके और बढ़ने की उम्मीद है। मुझे विश्वास है कि यहां आए हुए लोग जिन्हें इस विषय पर अधिक अनुभव और विशेषज्ञता है, वे खाद्य कीमतों में मौजूदा बढ़ोतरी के बुनियादी स्तर के तथ्यों को अधिक बेहतर ढंग से प्रस्तुत सकते हैं, विशेष रूप से खाद्यतेल और चुनौतियों के बारे में जो भारत जैसे देश के समक्ष मौजूद हैं और जो खाद्य तेल का निवल आयातक है। मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं ग्लोबायल इण्डिया और टेफ्ला के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं ग्लोबायल इण्डिया को उसकी 16वीं सालगिरह की शुभकामनाएं देता हूँ। किसी भी संगठन के लिए शैशवास्था से वयस्कता में पहुंचने के लिए यह काफी लंबा समय है। भारत में खाद्य तेल की देशी खपत का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा आयात से पूरा किया जाता है और वैश्विक बाजार में भारत का आयात हिस्सा 15 प्रतिशत से अधिक है। इसे देखते हुए, ग्लोबायल इण्डिया की इसमें अहम भूमिका है और उनके इस प्रयास के लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे आशा है कि इससे खाद्य तेल की देशी उत्पादकता, उपलब्धता और बाजार कौशल को बेहतर करने में मदद मिलेगी।

2. आपके उद्योग के संबंध में विस्तृत और व्यापक नज़रिया रखते हुए, मैं अर्थ-व्यवस्था में संवृद्धि के साथ-साथ मुद्रास्फीति प्रबंधन में कृषि-कारोबार की भूमिका पर अपनी बात रखूंगा। विशेष रूप से, मैं इस विकसित हो रहे परिदृश्य में आपूर्ति शृखंला प्रबंधन के महत्त्व और संभाव्यता के बारे में चर्चा करूँगा।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति - कृषि-कारोबार की भूमिका

3. कृषि-कारोबार की भूमिका के बारे में चर्चा करने से पहले यह उचित होगा कि मैं पहले कृषि-कारोबार की अवधारणा को परिभाषित करूं और उसे समझूं। बहुत पहले 1957 में, डेविस और गोल्डबर्ग[1] ने कृषि-कारोबार को खेती-आपूर्तियों के उत्पादन और वितरण में शामिल सभी क्रियाओं के कुल योग; खेती से संबंधित उत्पादन क्रियाओं; और कृषि पण्यों और उनसे बनी वस्तुओं के भण्डारण, प्रसंस्करण और वितरण के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। इस प्रकार, आज कृषि-कारोबार में मुख्यतः वे सभी कार्य शामिल हैं, जो 150 वर्ष पहले कृषि के संबंध में प्रयुक्त किए जाते थे और कृषि आज वृहत कृषि-कारोबार का एक हिस्सा है।

4. जहां तक संवृद्धि और मुद्रास्फीति का संबंध है, आपको पता होगा कि नीतिगत उपायों को चुनने में मूल्य स्थिरता की तुलना में संवृद्धि के उद्देश्यों से जुड़े भारांक मौजूदा समृष्टि-आर्थिक परिवेश के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, भारी गिरावट के दौरान संपूर्ण विश्व की नीतियों का जोर संवृद्धि से संबंधित उपायों पर था। मौजूदा स्थिति में विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कम मुद्रास्फीति और कम या ऋणात्मक संवृद्धि को देखते हुए, चलनिधि को बढ़ाने और कम ब्याज दरों के रूप में नीतिगत उपाय मुख्यतः संवृद्धि को बढ़ाने पर जोर देते रहें हैं।

5. हलांकि, भारत में स्थितियां बहुत अधिक भिन्न हैं। आर्थिक मंदी के साथ-साथ मुद्रास्फीति निर्धारित न्यूनतम सीमा से काफी अधिक है और इससे अधिक होने का मतलब यह मुद्रास्फीति संवृद्धि के लिए नुकसानदायक होगी। मौजूदा समष्टि-आर्थिक माहौल में

* 22 सितंबर 2012 को मुंबई में आयोजित ग्लोबॉयल इण्डिया के 16 वें सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री हारुन आर. खान द्वारा दिया गया मुख्य संबोधन भाषण। वक्ता ने इस भाषण को तैयार करने में भारतीय रिज़र्व बैंक के श्री अजय प्रकाश और श्री जी.वी. नधानियल और नाबार्ड से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

[1] किंग, राबर्ट पी, मिसेल बोहेलजे, मिसेल कुक, और स्टीवेन टी.सोन्का (2010), 'कृषि व्यापार आर्थिक और प्रबंधन', एएईए के शताब्दी के अवसर पर *अमेरिकन जर्नल ऑफ इकानामिक्स* के विशेष अंक, वाल्यूम 92.सं.2 अप्रैल से उद्धृत।

भारतीय नीति निर्माताओं को ऐसे अनेक उपायों पर विचार करना है जो उच्चतर संवृद्धि और न्यूनतर मुद्रास्फीति के उदेद्शयों को एक साथ पूरा कर सकें। मौजूदा स्थिति में अलग-अलग नीतिगत उपायों की उपयोगिता पर भिन्न-भिन्न मत हैं और आप सभी विभिन्न उपायों की समय-सीमा, क्रम और पूरकता से संबंधित वर्तमान चर्चा से परिचित ही होंगे। हलांकि, इस पर सभी लगभग एकमत हैं कि सभी के बीच कृषि और कृषि-कारोबार संवृद्धि मुद्रास्फीति विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने के लिए तथा समावेशी संवृद्धि को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य प्राथमिक आवश्यकता है।

6. मुद्रास्फीति पर कृषि-कारोबार का प्रभाव प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप में पड़ता है। कृषि-कारोबार का प्रत्यक्ष प्रभाव खाद्य मुद्रास्फीति के रूप में दिखता है। जनसंख्या और समृद्धि के बढ़ने से मांग के बढ़ने के चलते कृषि पैदावार की वृद्धि के पिछड़ जाने के कारण खाद्य मुद्रास्फीति अगले सात सालों तक वैश्विक स्तर पर बनी रहने की संभावना है। ओईसीडी-एफएओ ने पूर्वानुमान लगाया है कि खराब वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति की संभावना अगले 10 सालों तक बनी रह सकती है। ओईसीडी-एफएओ कृषि दृष्टिकोण 2011-20 से पता चलता है कि खाद्य कीमतें 2015-20 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान सही मायने में उच्चतर हो सकती है। उदाहरण के लिए, 1998-2003[2] तक के पांच वर्ष के दौरान तिलहन की कीमतों की तुलना में 36 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। वैश्विक स्तर पर उच्च कीमतें हमारे देशी मुद्रास्फीति प्रबंधन के लिए आयात को एक के साधन केरूप में प्रयोग करने पर सीमा लगाती हैं। जब वैश्विक कीमतें कम होती हैं, आयात का विकल्प सीमित होता है तब भी, भारत जैसे बड़े उपभोक्ता वाले देश के वैश्विक बाजार में प्रवेश की खबर मात्र से कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके अतिरिक्त, उच्चतर आयात हमारे पहले से अधिक चालू खाते के घाटे पर दबाव बढ़ा देगा।

7. मुद्रास्फीति पर कृषि-कारोबार का परोक्ष प्रभाव जीविका की लागत में बढ़ोतरी के रूप में प्रतिबिंबित होता है ऐसा उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण होता है जिसके चलते मजदूरी बढ़ जाती है और जिससे उत्पादन की उच्चतर लागत के जरिए सामान्यीकृत मुद्रास्फीति में योगदान मिलता है। इससे मजदूरी कीमत चक्र की शुरुआत हो सकती है। इसलिए, यद्यपि खाद्य मुद्रास्फीति या कम से कम खाद्य मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि सामान्य तौर पर आपूर्ति पक्ष के कारण होती है, इसकी गहन निगरानी की जाती है और यह केन्द्रीय बैंक के लिए सबसे कठिन चुनौतियों में से एक चुनौती होती है। मौजूदा परिवेश में रिज़र्व बैंक इस उच्च खाद्य मुद्रास्फीति की चुनौती से जूझ से रहा है क्योंकि मौद्रिक नीति को अक्सर रक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करना पड़ता है, चाहे भले ही यह आपूर्ति पक्ष का मामला क्यों न हो। हालांकि, मध्यम काल में से खाद्य मुद्रास्फीति के प्रबंधन में उत्पादन बढ़ाने, उत्पादकता बेहतर करने और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की कुशलता को बढ़ाने के उपाय शामिल होते हैं।

8. जहाँ तक संवृद्धि पक्ष की बात है, जहां सेवा क्षेत्र पिछले कई वर्षों से संवृद्धि को बढ़ा रहा है, वहीं अर्थ-व्यवस्था की संवृद्धि में बढ़ोतरी और इसे उच्चतर स्तर पर बनाए रखना, खाद्य और खाद्य उत्पाद की आपूर्ति, जनसंख्या के बड़े भाग को रोजगार और अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों अर्थात उद्योग और सेवा को एक व्यापक और संबंधित मांग आधार प्रदान करना में, कृषि क्षेत्र के कार्य निष्पादन पर सबसे ज्यादा निर्भर है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र दोनों में कृषि-कारोबार के आपसी संबंधों को देखते हुए, यह क्षेत्र न केवल संवृद्धि में सीधे योगदान देता है, बल्कि अर्थ-व्यवस्था के शेष बचे अन्य क्षेत्रों में भी योगदान देता है। कृषि-कारोबार की संवृद्धि भी कृषि क्षेत्र के भीतर लाभदायक रोजगार पैदा करने की क्षमता रखती है जो कृषि में अल्प रोजगार और अदृश्य बेरोजगारी को कम करने में मदद कर सकती है।

9. कृषि-कारोबार की भूमिका उन चुनौतियों के कारण अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है जब वैश्विक अर्थ-व्यवस्था खाद्य, ईंधन और भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खाद्य उत्पादन को बढ़ाने की समस्या का सामना कर रहीं है। ओईसीडी-एफएओ के अनुसार[3] 2050 तक संसार की जनसंख्या लगभग 9 बिलियन हो जाएगी, इस स्थिति में खाद्य की मांग को पूरा करने के लिए अगले 40 वर्षों में कृषि पैदावार में 60 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। इसलिए 2005-07 के स्तर की तुलना में 2050 तक प्रति वर्ष 1 बिलियन टन अनाज और 200 मिलियन टन मांस ज्यादा पैदा करना है। जैविक-ईंधन के उत्पादन की मांग भी दोगुना होने की उम्मीद है। मांस और मांस से बने उत्पादों को भी अतिरिक्त कृषि आपूर्ति स्टॉक की जरूरत है। संपूर्ण संसार में कृषि भूमि क्षेत्र के विस्तार के सीमित दायरे और भूमि अवक्रमण और पानी की कमी, मछली की ज्यादा खपत को देखते हुए, कृषि पैदावार को बढ़ाना एक प्रमुख चुनौती

[2] ओईसीडी-एफएओ कृषि मूल्य संभावना: http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/

[3] ओईसीडी-एफएओ खाद्य और कृषि आउटलुक :2012-2021

बन गई है। विश्वव्यापी तापक्रम में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन तथा मौसम की सर्वाधिक विषम परिस्थितियों ने अनिश्चितताओं को और बढ़ा दिया है।

10. संपूर्ण विश्व में खाद्य की कीमतों में वृद्धि हाल के वर्षों में एक प्रमुख मुद्दा बन गई है। वैश्विक खाद्य कीमतों में तेजी, जो 2004-08 तक की अवधि के दौरान रही, का कल्याणकारी कार्यों पर काफी अधिक प्रभाव पड़ा जिसके कारण लाखों लोग गरीब और भूखे हो गए। अधिकांश रूप से सभी प्रमुख वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई और खाद्य तेल भी इससे अछूता न रहा। यद्यपि, इस अवधि के दौरान कीमतें अस्थिर रहीं, पूर्वानुमान से पता चलता है कि कीमतों में निरपेक्ष उर्ध्वगामी वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रहेगी जिसका मुद्रास्फीति पर दबाव पर सकता है (चार्ट 1)। यह भारत जैसे देश, जो खाद्य तेल का प्रमुख आयातक है, के लिए महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। यह भी पाया गया है कि भारत में, देशी कीमतें खाद्य तेल की वैश्विक कीमतों की प्रवृत्ति से बहुत अधिक प्रभावित होती है।

11. प्रसंगवश, वर्तमान वर्ष के दौरान अभी तक, तेल और वसा के फुटकर मूल्य थोक बिक्री के मूल्य की तुलना में अधिक रहे हैं (चार्ट 2)। इसके कई कारण हो सकते हैं, आपूर्ति परिवर्तन के प्रबंधन में सुधार करके इस अंतराल को निश्चित रूप से कम किया जा सकेगा। फुटकर कीमतों की प्रवृत्ति से भी पता चलता है कि खाद्य तेल के लिए अंतिम उपभोक्ता द्वारा दिया गया मूल्य देश के अन्य प्रमुख शहरों में काफी अधिक अलग-अलग है (चार्ट 3)। कई भागों में यह विभिन्नता परिवहन लागत और राज्य विशिष्ट करों के साथ-साथ उत्पाद की गुणवत्ता जैसे कारकों के कारण हो सकती है, इतनी भारी मात्रा में अंतर भी आपूर्ति शृखंला से संबंधित उन मुद्दों की ओर संकेत करता है जो भारत जैसे देश, जिसका एक बड़ा देशी बाजार है, के लिए महत्वपूर्ण हैं।

चार्ट 1: वैश्विक सब्जी तेल मूल्य

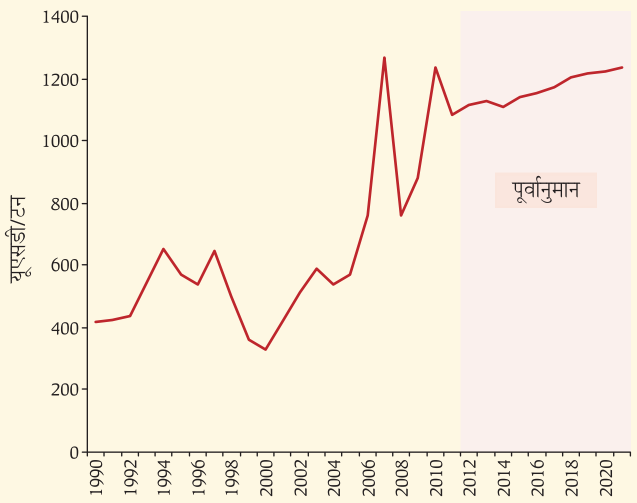

स्रोत: ओईसीडी-एफएओ डाटाबेस

12. इसलिए, अब मैं आपूर्ति शृखंला पर चर्चा करूंगा, जिसके जरिए कृषि उत्पाद अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचते हैं, और जिन्हें पूर्व उल्लिखित बढ़ती चुनौतियों को ध्यान में रखकर अधिक उन्नत बनाने की आवश्यकता है।

चार्ट 2: थोक और फुटकर स्तर पर तेल और वसा में तुलनात्मक मुद्रास्फीति

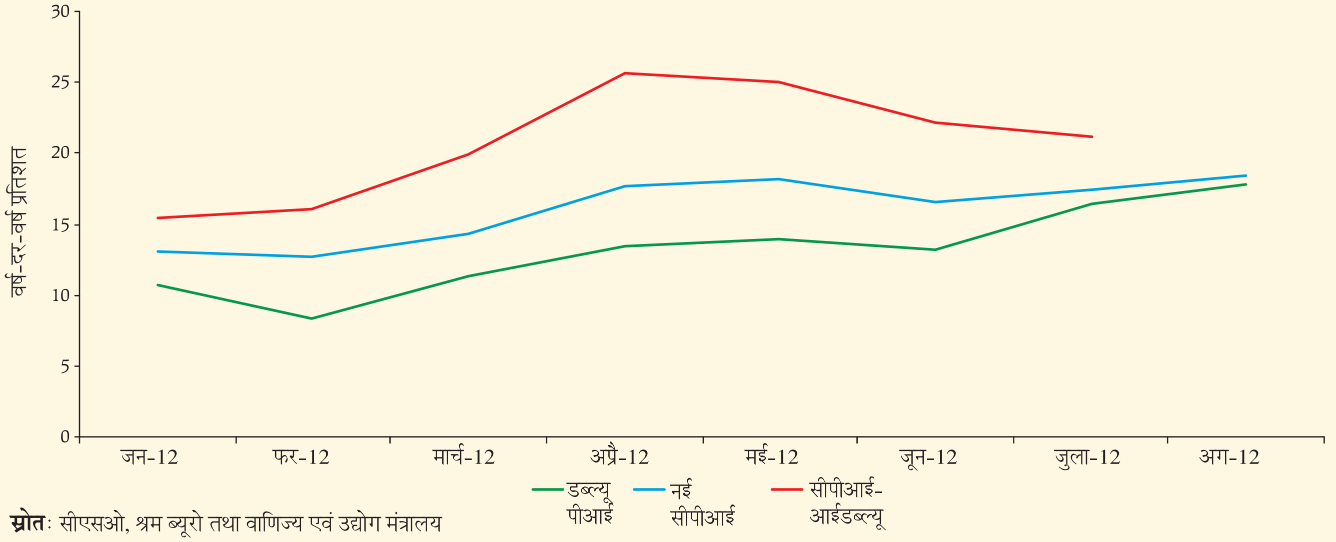

स्रोत: सीएसओ, श्रम ब्यूरो तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

चार्ट 3:अगस्त 2012 में चुनिन्दा खाद्य तेल (पैकिंग किया हुआ) का फुटकर मूल्य

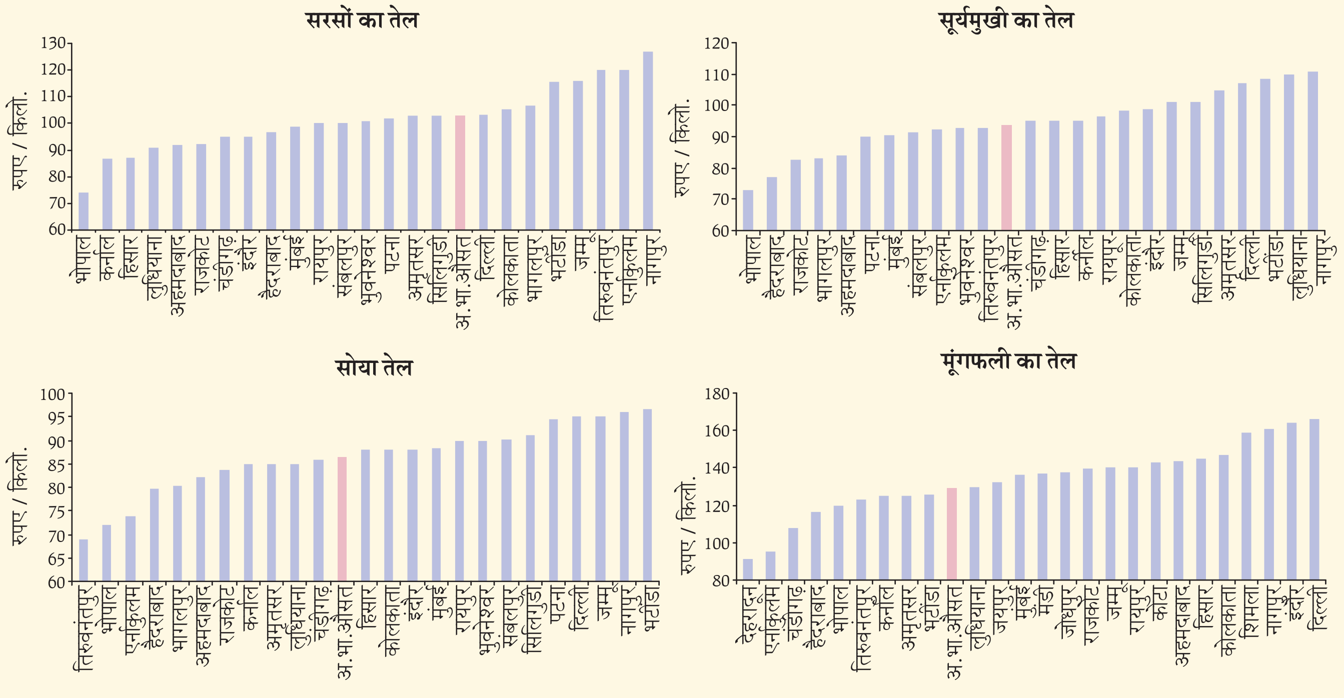

स्रोत: मूल्य प्रबंधन कक्ष, उपभोक्ता मामलें विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

आपूर्ति श्रृखंला प्रबंधन और कृषि कारोबार

13. यह देखा गया है कि विभिन्न खाद्य वस्तुओं के उत्पादन मूल्य और फुटकर मूल्य में बहुत अधिक विषमता है। आपूर्ति श्रृखंला में 1-2-3-4 के लिए साधारण संदर्भ बहुत अधिक प्रचलित है, निर्माता जिसे एक रुपये में बेचता है, वही वस्तु मध्यवर्तियों की उपस्थिति के चलते अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने में चार रुपये की हो जाती है। मुद्रास्फीति पर हाल में नियुक्त अंतर-मंत्रालय समूह[4] ने उत्पादन मूल्य और फुटकर मूल्य के बीच के मार्जिन को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आपूर्ति शृंखला में सुधार निर्माता और अंतिम उपभोक्ता दोनों के लिए लाभदायक है, क्योंकि निर्माताओं को अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिलेगा और अंतिम उपभोक्ता को कम मूल्य में वस्तुएं मिलेंगी। इसलिए, आपूर्ति शृंखला की कुशलता बढ़ाने से खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने, हमारे खाद्य बाजारों की कुशलता बढ़ाने तथा हमारे कृषि क्षेत्र को वहनीय और सुकर बनाने में मदद मिल सकती है।

[4] मुद्रास्फीति पर आईएमजी से स्थिति पेपर संख्या 1 http://finmin.nic.in/workingpaper/IMG per cent20on per cent20Inflation.pdf

14. खाद्य मुद्रास्फीति की वर्तमान संरचना की प्रमुख विशेषता प्रोटीन और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी है। इनमें दूध, अण्डा, मांस, मछली, सब्जियां और फल जैसी खराब होने वाली वस्तुएं शामिल हैं - इन सभी के लिए उन्नत और प्रभावी आपूर्ति शृंखला प्रबंधन जरूरी है।

15. कृषि-कारोबार और आपूर्ति शृंखला के विभिन्न पक्षों में बदलाव हो रहा है जो कि भविष्य में भी जारी रह सकता है। आने वाले समय में प्रसंस्करण, व्यापार और विपणन पर जोर दिया जाएगा। फल, सब्जियां, खाद्य तेल और मवेशी उत्पाद जैसे अधिक प्रोटीन युक्त और अन्य अधिक मूल्य वाले खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ रही है। उच्च गुणवत्ता, सुरक्षित और आसान (जमा हुआ, पहले से कटा हुआ, पहले से पका हुआ और खाने के लिए तैयार) खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ रही है। देश के भीतर और भारतीय प्रजाति के लोंगो के कारण बढ़ती मांगों को अधिक कुशल आपूर्ति श्रृखंला प्रबंधन के जरिए पूरा करके संवृद्धि को सुगम बनाया जा सकता है और मुद्रास्फीति कम की जा सकती है।

16. आपूर्ति श्रृखंला प्रबंधन और कृषि कारोबार कृषि विपणन प्रणाली के अभिन्न अंग है। कुशल आपूर्ति श्रृखंला प्रबंधन और

कारोबार माडल कुशल कृषि बाजार बनाने के लिए आवश्यक हैं। ये कृषि उत्पादों को किसानों से लेकर उपभोक्ताओं तक सर्वाधिक कुशल तरीके से पहुंचाते हैं। जहां उत्पादन और उत्पादकता आपूर्ति पक्ष के कारक हैं, वहीं बाजार निर्माताओं और उपभोक्ता की अंतिम मांग के बीच माध्यम के रूप में होते हैं। कुशल तरीके से कार्य कर रहे बाजार उपभोक्ताओं के साथ-साथ निर्माताओं के लिए लाभदायक होते हैं। कुशल कृषि बाजार गरीबी को कम करने के एक प्रबल उपाय हो सकते हैं।

17. भारत में कृषि बाजार, विशेष रूप से आपूर्ति श्रृखंला प्रबंधन और कारोबार माडल, कार्यक्षम नहीं हैं। भारत में, किसानों द्वारा पैदा की गई सामग्री को सामान्यतः गांव, ग्रामीण/प्राथमिक बाजार या द्वितीयक कृषि बाजार में ही बेचा जाता है। भारत में आपूर्ति श्रृखंला प्रबंधन और कृषि कारोबार के समक्ष पेश चुनौतियों को विस्तृत रूप से तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है अर्थात 1) नियमित बाजार तक पहुंच का अभाव, 2) कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) अधिनियम के तहत प्रतिस्पर्धा का अभाव तथा 3) राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक कृषि बाजार का न होना। ये वे चुनौतियां हैं जो विभिन्न चैनेलों के समक्ष आती हैं और इनके माध्यम से आपूर्ति श्रृखंला और कृषि कारोबार माडल कार्य करते हैं, ये चैनल इस प्रकार हैंः (i) उत्पादक-उपभोक्ता, (ii) उत्पादक-फुटकर विक्रेता-उपभोक्ता, (iii) उत्पादक-थोक विक्रेता-फुटकर विक्रेता-उपभोक्ता, (iv) उत्पादक-कमीशन एजेन्ट-थोक विक्रेता-फुटकर विक्रेता-उपभोक्ता, (v) उत्पादक-निर्माता-गांव का व्यापारी-थोक विक्रेता-फुटकर विक्रेता-उपभोक्ता।

18. भारत में कृषि बाजार मॉडल एपीएमसी अधिनियम के जरिए नियंत्रित किए जाते हैं। नियंत्रित (द्वितीयक) कृषि बाजार की संख्या 1950 के ठीक 286 की तुलना में मार्च 2010 में 7,157 थे। लगभग 22,221 ग्रामीण आवधिक बाजार हैं, जिनमें से लगभग 15 प्रतिशत एपीएमसी विनियमन के दायरे में कार्य करते हैं।[5] मॉडल एपीएमसी अधिनियम के अनुसार राज्य अधिसूचित कृषि उत्पादन की बिक्री पर क्रेता/व्यापारी से बाजार शुल्क वसूल करते हैं, यह शुल्क सामान्यतः अधिक होता है। कृषि/बागवानी उत्पादों पर अधिक कमीशन प्रभार से विपणन लागत अधिक हो जाती है। प्रवेश कर/चुंगी कर जैसे अन्य प्रभार भी होते हैं जो अलग-अलग राज्यों और वस्तुओं पर अलग-अलग लगाए जाते हैं। इस प्रकार के प्रभार कृषि पैदावार हेतु एक राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक बाजार बनाने में बाधक होते हैं। इसके अतिरिक्त, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत वस्तुओं की आवाजाही पर विभिन्न राज्यों में रोक लगी हुई है। ये कृषि बाजार तक मुक्त पहुंच में बाधा बने हुए हैं। अनेक बाजारों को नकदी आधारित लेनदेनों में वर्गीकृत किया गया है, जहां नकदी प्रबंधन का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। साथ ही, वजन, माप-तौल के साथ-साथ दलालों और कमीशन एजेन्टों की उपस्थिति का भी मुद्दा है।

19. ऐसा मानने के पीछे कारण है कि नियामक सीमाओं ने भण्डारण और प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास में निवेश करने में अड़चन पैदी की है, प्रभावी संस्थाओं के विकास को रोका है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में कृषि उत्पादकों की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। उदाहरण के लिए, भारत संसार में सबसे ज्यादा फल और सब्जियां पैदा करने वाला देश है किन्तु ऐसा अनुमान है कि पैदावार के बाद पर्याप्त भंडारण की सुविधा और परिवहन न होने के कारण लगभग 30-40 प्रतिशत का नुकसान होता है, केवल 7 प्रतिशत से ही मूल्य योजन होता है और पैदावार का केवल 2 प्रतिशत भाग ही व्यवसायिक रूप से संसाधित किया जाता है। सड़क की कनेक्टिविटी, बागबानी के विकास, दुग्ध उत्पादन और अन्य पशु-पालन गतिविधियों तथा नगदी फसलों के विस्तार का देश में अभी भी अभाव है। जो बाजार उन्मुख कृषि में फार्म क्षेत्र की पहुंच के लिए आवश्यक साधन हैं, यह विशेष रूप से, 'अत्यधिक मूल्य' वाले कृषि के खण्ड के लिए महत्वपूर्ण है, जहां मांग का दबाव आने वाले वर्षों में सबसे अधिक होने की संभावना है और कुशल मूल्य श्रृखंला के विकास के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता होगी ताकि अत्यधिक बर्बादी और मध्यस्थता लागत से बचा जा सके। उत्पादों के भंडारण की पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण उत्पादों की कीमतों में काफी अधिक मौसमी उतार-चढ़ाव भी होते हैं।

20. देश को उपज के मुक्त आवागमन को सहूलियत प्रदान करने, मूल्य स्थिरता को लाने और उत्पादक तथा उपभोक्ता बाजार वर्ग के बीच के मूल्यों के अंतर कम करने की जरूरत है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समाधान (उदाहरण के लिए, चुंगी चौकियों पर प्रिपेड कार्ड आधारित भुगतान) के इस्तेमाल से कृषि पैदावार के आवागमन को आसान बनाया जा सकेगा। निरंतर आधार पर उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर देने के अलावा, कृषि पैदावार की साफ-सफाई, ग्रेडिंग, पैंकिंग को बाजार में अधिक प्रसार के लिए प्रचारित करना होगा। वर्तमान खंडित विपणन प्रणाली और संरचनागत बुनियादी सुविधाओं की कमी भारत में आपूर्ति श्रृखंला

[5] बाजार का औसत क्षेत्र 115 वर्ग किलो मीटर है जबकि एक नियमित बाजार का औसत क्षेत्र 454 वर्ग किलोमीटर का है। राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार बाजार की उपलब्धता 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर होनी चाहिए (लगभग 80 वर्ग किमी)।

के प्रभावी तरीके से कार्य करने और प्रतिस्पर्धा में बड़ी अड़चन है। एक कुशल आपूर्ति श्रृखंला में आपूर्ति श्रृखंला को मूल्य श्रृखंला के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, जहां श्रृखंला के भीतर प्रत्येक स्तर पर महत्वपूर्ण मूल्य-वृद्धि होती है। किसानों को अत्यधुनिक तकनीक युक्त बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें बाजार से जोड़ने की आवश्यकता है। प्रभावी लिंकेज संसाधनों के प्रबंधन और गुणवत्ता अनुरक्षण की बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है और इस प्रकार यह कुशल पहुंच, सुपुर्दगी, मूल्य तथा प्रकटीकरण में मदद कर सकता है और वैश्विक उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। बाजार के साथ छोटे प्राथमिक उत्पादकों को जोड़ने से भारत में लाखों गरीब लोगों की जीविका को सुधारने में मदद मिल सकती है। बैंकिंग और बैंक वित्त भी समस्त कृषि-कारोबार श्रृखंला में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता हैं।

21. परिणामस्वरूप, कृषि बाजार से संबंधित नीतियों में सुधार के लिए एक व्यापक सर्वसम्मति उभरकर सामने आई है और हाल के वर्षों में, भारत में जारी नीति सुधार प्रक्रिया के भाग के रूप में महत्त्वपूर्ण सुधार उपाय किए गए हैं जैसे एपीएमसी अधिनियम में संशोधन और खुदरा क्षेत्र में विदेश प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति। और भी विशेष स्तर पर जाएं, तो, पराक्राम्य गोदाम रसीद प्रणाली की शुरुआत, इस प्रकार की रसीदों पर बैंक वित्त योजना, गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) की स्थापना और माल-गोदाम तथा भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिए दस वर्षों तक गारंटी समर्थन योजना से उत्पादकों के लिए कुशल विपणन प्रबंधन और मूल्य जोखिम कम करने में आवश्यक सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज और माल-गोदाम सुविधाओं के विकास के लिए वर्ष 2012-13 में ₹50 बिलियन विशेष आबंटन के साथ नाबार्ड द्वारा प्रशासित ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास निधि के अंतर्गत संवितरण से विपणन कुशलता के लिए बुनियादी संरचना को प्रोत्साहन मिलेगी। कोल्ड स्टोरेज को शामिल करने के लिए बुनियादी संरचना हेतु बाह्य वाणिज्यिक ऋण की भी अनुमति प्रदान की गई है। कतिपय महत्त्वपूर्ण कृषि उत्पादों, जो उत्पादकों और उपभोक्ता दोनों के लिए फायदेमंद हैं, में आपूर्ति और मूल्य श्रृखंला को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए नाबार्ड ने आलू के लिए पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, प्याज के लिए महाराष्ट्र और टमाटर के लिए पंजाब और हरियाणा में आपूर्ति श्रृखंला विकसित करने के लिए कुछ प्रायोगिक कार्यक्रमों की शुरुआत की है। वे परियोजनाएं जिनमें बैंक, राज्य सरकारें और अनुसंधान संस्थाएं शामिल हैं, की प्रकृति व्यापक है और वे गुणवत्ता इनपुट तथा अनुसंधान व विकास सहयोग सहित बेहतर कृषि प्रणाली को अपनाकर उत्पादन स्तर पर मदद करने के अतिरिक्त, किसानों को बेहतर छँटाई/ पैंकिंग, भंडारण और विपणन में मदद कर सकती हैं।

आपूर्ति श्रृंखला में सुधार संबंधी उपाय

22. आपूर्ति श्रृखंला को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न नीतिगत दस्तावेजों से प्राप्त सुझावों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है:1) किसानों की क्षमताओं को बढ़ाना, 2) बुनियादी संरचना को मजबूत करना, और 3) विधायी हस्तक्षेप। किसानों को निम्नलिखित समूहों - उत्पादक समूहों, सहकारी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों और हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की अधिकता को देखते हुए उत्पादक कंपनियों में अपने आप को संगठित करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि आपूर्ति श्रृखंला को अधिक समानतावादी बनाने के साथ-साथ सरल बनाया जा सके। हाल में, नाबार्ड ने उत्पादक संगठन विकास निधि की स्थापना की है जो इस संबंध में उत्प्रेरक की भूमिका अदा कर सकता है। शीतगृह की श्रृखंला का सृजन, ग्रामीण माल-गोदाम, नवीन कृषि विपणन बुनियादी संरचना और मौजूदा बाजारों के आधुनिकीकरण जैसे समस्त कृषि-मूल्य श्रृखंला में निवेश को राजस्व प्रोत्साहन प्रदान करके आगे बढ़ाया जा सकता है। मुद्रास्फीति पर अंतर-मंत्रालय समूह द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को एपीएमसी अधिनियम से बाहर रखा जाए ताकि छोटे-व्यापारियों और किसानों को यह अनुमति देकर अंतरपणन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके कि वे शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को सस्ते स्थानों से खरीद कर मंहगे स्थानों में बेच सकें। इस प्रकार, मुद्रास्फीति प्रबंधन के दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में, मंदी गवर्नेंस में सुधार लाना जरूरी है जिसमें कृषि उत्पादन बाजार समिति का नियमित चुनाव करके पारदर्शिता और कार्यदक्षता पर जोर दिया जाए और सार्वजनिक निजी सहभागिता के माध्यम से मौजूदा विनियमित बजारों की कार्यप्रणाली में व्यावसायिकता लाई जा सके।

23. अंतरराष्ट्रीय बाजार विकास के विश्लेषण से पता चलता है कि नवीनतम प्रौद्योगिकी युक्त बुनियादी संरचना के साथ विभिन्न वस्तुओं में आपूर्ति श्रृखंला को विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर तालमेलबद्ध सहभागियों को प्रोत्साहित करना भारतीय स्थितियों के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण है। विभिन्न आपूर्ति श्रृंखलाओं के खंडित प्रबंधन की मौजूदा प्रणाली को समेकित प्रबंधन प्रणाली में बदल देना

चाहिए, ताकि किसानों केलिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। ठेके पर खेती और सुपर बाजार उठाव व्यवस्थाएं आपूर्ति शृखंला की दो ऐसी व्यवस्थाएं है जो भारत में बहुत अधिक चर्चा का विषय हैं। भारत में हाल में हुए अनुभव से पता चलता है कि ठेके पर खेती और सुपर बाजार उठाव दृष्टिकोण में मध्यावधि में छोटे किसानों को शामिल करना होगा क्योंकि खेती संरचना उन्हें ऐसा करने के लिए विवश करती है। अर्जेनटीना की कंपनी ईएल टेजर द्वारा की गई पहल जिसमें छोटे और सीमांत किसानों को एक साथ लाकर उनकी जमीन भाड़े ली गई और उन्हें वेतन रोजगार दिया गया, की जैसी पहल हमारे यहां भी की जा सकती है। कई देशों में, सरकारी निजी सहभागिता नई आपूर्ति शृखंला की सफलता में सहायक रही है, उदाहरण के लिए उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रसार और तकनीक सहयोग तथा किसानों को आधिकारिक मान्यता प्रदान करना। देश को एक ऐसे राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक संगमन प्लेटफार्म की जरूरत है जहां सरकारी निजी सहभागिता प्रणाली के तहत निजी संस्थाएं केन्द्र और राज्य सरकार की अनेक जारी योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए भारी संख्या में किसानों के साथ मिलकर कार्य करती हों। बड़े और छोटे किसानों जो ग्रामीण कृषि समुदाय में 80 प्रतिशत से अधिक हैं, की समान सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाले दृष्टिकोण में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

- क्रेताओं के प्रवेश और उनके बीच प्रतिस्पर्धा को सुगम बनाना, उदाहरण के लिए ग्रामीण बुनियादी संरचना को बेहतर बनाना अथवा छोटे किसानों को लगने वाली लेनदेन लागत को कम करने के लिए संग्रह केन्द्रों की स्थापना करना;
- किसानों को औपचारिक और अनौपचारिक समूह के अंतर्गत रखना ताकि अपेक्षित मात्रा को पूरा किया जा सके और किसानों की मोल-भाव क्षमता को मजबूत किया जा सके;
- उत्पादन अधिकारों की स्थापना और उधार प्रवाह को सुगम बनाने के लिए काश्तकारी कानून में सुधार और काश्तकारी खेती को वैध करना;
- बेहतर उत्पादन और फसलोत्तर तकनीक को अपनाने के लिए किसानों की क्षमता बढ़ाना ताकि अपेक्षित उच्चतर गुणवत्ता मानकों को पूरा किया जा सके;
- खेत को बेहतर बनाने और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों द्वारा लिए गए अल्पावधि उत्पादन ऋण के अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करने में किसानों की सहायता करना, उदाहरण के लिए माइक्रो सिंचाई, ग्रीनहाउस, ग्रेडिंग, या शीत सुविधाएं और आवश्यक राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त करना;
- आई सी टी का उपयोग करके उत्पादकों को बाजार सूचनाओं का कुशलतापूर्ण प्रसार (उदाहरण के लिए मोबाइल फोन आधारित बाजार सूचना प्रचार);
- ठेके पर खेती व्यवस्था और ठेके की योजना के तहत किसानों के अधिकार और दायित्व के बारे में उन्हें और क्रेताओं को प्रशिक्षण; और
- ऐसी संस्थाएं बनाना जो ठेके संबंधी झगड़ों को निपटाने के लिए किसानों की मदद करें जैसे पण्य अथवा बाजार संगठन।
- 'आंतरिक और बाह्य व्यापार[6] के लिए अपेक्षित कृषि विपणन बुनियादी संरचना, द्वितीयक कृषि और नीति विषय पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्य समूह ने कृषि विपणन के निम्नलिखित मॉडल चिह्नित किए हैं जिन पर योजना अवधि के दौरान जोर दिया जाना है जैसे कि क) उत्पादक संगठनों का अधिक उत्तरदायित्व; ख) फुटकर विक्रेताओं/संसाधकों/निर्यातकों के बीच सीधा जुड़ाव; ग) आभासी बाजार प्लेटफार्म के जरिए मूल्य खोज; घ) प्रत्यक्ष विपणन; ङ) रिटेलिंग को संगठित करना और कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए एफडीआई पर प्रतिबंध हटाना; च) छोटे उत्पादकों के लिए बाजार की पहुंच ; छ) एपीएमसी अधिनियम में संशोधन; ज) साझेदारी, सूचना और संचार तकनीकी, लिवरेजिंग नेटर्वक, मूल्य शृखंला वित्त पोषण, लघु धारिता नीति और ठेके जैसे सम क्षेत्रों को शामिल करने वाली समेकित मूल्य शृखंला प्रणाली; झ) प्रभावी बाजार सहभागिता के लिए नवोन्मेषी विपणन मॉडल को प्रोत्साहन; औ) कुशलता और प्रभावीपन के लिए सरकारी निजी सहभागिता।

[6] 'XII पंचवर्षीय योजना 2012-17 के लिए आंतरिक और बाहय व्यापार हेतु अपेक्षित कृषि विपणन बुनियादी संरचना, द्वितीयक कृषि और नीति' विषय पर रिपोर्ट http://planningcommission.nic.in/aboutus/committee/wrkgrp12/agri/weg_rep_market.pdf

24. अंत में, अनाज की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका में भी बदलाव करने की आवश्यकता है। पीडीएस प्रणाली की वांछनीय रणनीति के संबंध में दो विरोधी मत हैं। कुछ के अनुसार, पीडीएस प्रणाली को स्टॉक निर्गत करके, जब खाद्य कीमतें अधिक हो, विशेष रूप से आपूर्ति शृखंला जोड़तोड़ की अवधि के दौरान, एक स्थिरकारी भूमिका अदा करनी चाहिए। किन्तु एक अन्य मत यह है कि पीडीएस प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की शक्तियों को क्षीण करता है और सरकार को इसके बजाय आपूर्ति शृखंला की अड़चनों को दूर करने पर जोर देना चाहिए। एक ओर, शहरीकरण और प्रवासन, उच्च प्रति व्यक्ति आय, बदलती आहार आदतें और दूसरी तरफ पीडीएस से जुड़ी अधिक लागत और लीकेज के कारण मांग में हुई वृद्धि को देखते हुए प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के लिए वांछनीय और आवश्यक हो गया है कि वे बड़े पैमाने पर एक अहम भूमिका निभाएं। पीडीएस के प्रस्तावित विकल्प जैसे नकदी अंतरण/खाद्य कूपन भी केवल समेकित आपूर्ति शृखंला के होने पर ही प्रभावी होंगे, अन्यथा, आपूर्ति शृखंला के परिचालन के चलते नकदी अंतरण के लाभार्थियों का दोहन होगा और इसका असर मुद्रास्फीति पर भी पड़ेगा।

निष्कर्ष

25. मैं अपनी बात इस निष्कर्ष के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि अनेक वर्षों तक संसार को कृषि वस्तुओं की आपूर्ति में कमी के साथ-साथ बढ़ती मांग से संघर्ष करना पड़ेगा। यह दवाब अन्य के बीच बढ़ती कीमतों में परिलक्षित होगा। ऐसे में, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के अतिरिक्त, आपूर्ति शृखंला के प्रबंधन में सुधार समग्र आर्थिक संवृद्धि को बनाए रखने और कीमतों में अनियंत्रित बढ़ोतरी को रोकने के लिए महत्त्वपूर्ण होगा। जैविक ईंधन, पालीमर्स, फार्मास्यूटिकल/स्वास्थ्य उत्पाद और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मुर्गी पालन और डेरी के लिए चारे जैसे गैर-परांपरागत क्षेत्रों आपूर्ति शृखंला में बहुत अधिक निहितार्थ है। कृषि कारोबार संगठनों की जटिलता और विकेन्द्रीकरण में बढ़ोतरी से आपूर्ति शृखंला के भावी परिवर्तनों को दिशा मिलेगी। इसके लिए अवधारणाओं और तकनीकी के विकास की भी जरूरत होगी। मुझे आशा है कि आप सभी इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सुझाव देंगे।

मैं एकबार पुनः टेफ्ला और ग्लोबॉयल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसे प्रतिष्ठित सहभागियों के साथ अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया।